

कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०
संख्या- ०४ / १० / ई-२ / २०२५-२६
प्रयागराज: दिनांक ०७ मार्च, २०२६

विज्ञापित

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए-३/ई-१/२०२५ दिनांक ०३-०६-२०२५ के अन्तर्गत विज्ञापित स्टाफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) (प्रा०) परीक्षा-२०२५, दिनांक १७ मार्च, २०२६ (मंगलवार) को एक सत्र में (पूर्वाह्न ०९:३० बजे से ११:३० बजे तक) लखनऊ जनपद स्थित आयोग के परीक्षा भवन (भूतल एवं प्रथम तल) में आयोजित की जानी है।

०२-प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट <https://uppssc.up.nic.in> पर दिनांक-०९.०३.२०२६ से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपने ओ०टी०आर० नम्बर के द्वारा प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई०डी०प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आई०डी०प्रूफ० की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से ०१ घण्टा ३० मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से ४५ मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

०३- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, २०२४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-८, सन् २०२४) दिनांक ०६ अगस्त, २०२४ को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिलिपि बनाना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"

(ओंकार नाथ सिंह)
अनुसचिव।